

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 1396/2023

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2635/2023

Mangla Ram Bawri S/o Shri Jhumar Ram Bawri, Aged About 25
Years, R/o Village Chirdani, Police Station Pipad City, District
Jodhpur Village (Rajasthan) At Present In Central Jail Ajmer

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shubham Saini for Mr. Rajendra Singh Tanwar
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

18/03/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **मंगलाराम बावरी** की ओर से धारा 389 सीआर.पी.सी. के अंतर्गत, विचारण न्यायालय—विशिष्ट न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, संख्या—02, अजमेर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—86/2019, सरकार बनाम मंगलाराम व अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **10.07.2023** के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी/अभियुक्त लम्बी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अधिकतम दस वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है, जिसमें से वह छह वर्ष से भी अधिक के कारावास की सजा भुगत चुका है। उनका यह भी तर्क रहा है कि गवाहान के कथनों में विरोधाभास है, विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन-विश्लेषण नहीं किया है, उनका यह भी तर्क है कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

परिवादी पक्ष बावजूद तामील न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः अपीलार्थी-अभियुक्त की लगभग छह वर्ष से अधिक की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/-रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रुपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये) की दो

सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **18.04.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **मंगलाराम बावरी पुत्र श्री झुमरराम बावरी** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J